दिनांक–17.02.2026 को प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II विस्तारीकरण अन्तर्गत कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II विस्तारीकरण की समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों/संवेदक/संवेदक के प्रतिनिधि सम्मिलित हुएः–

1. श्री वरूण कुमार, अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना।
2. श्री धर्मेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर।
3. श्री विवेक गौरव, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना।
4. श्री सियाराम पासवान, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी।
5. श्री विपिन कुमार, कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, सीतामढ़ी।
6. श्री मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–18, पटना।
7. श्री डी०एस० सैनी, प्रबंध निदेशक, सुभाष इन्फ्रा प्रा० लि०, गुरूग्राम हरियाणा।
8. श्री प्रदीप विनायक, उपाध्यक्ष, सुभाष इन्फ्रा प्रा० लि०, गुरूग्राम हरियाणा।

बैठक के दौरान की गयी समीक्षा एवं दिये गये निदेश निम्नवत् है:–

- इस योजना के तहत बागमती बायाँ तटबंध 6.78 कि.मी. में, बागमती दायाँ तटबंध 12.41 कि.मी. में एवं कांटा पिरौछा रिंग बांध बागमती नदी के दायें किनारे में 2.8 कि.मी. की लम्बाई में तटबंध निर्माण कराया जाना है (कुल लम्बाई 21.99 कि.मी.), जिसमें बताया गया कि अभी तक मात्र 750 मी० की लम्बाई (दायाँ तटबंध कि.मी. 83.45 से कि.मी. 84.20) में कार्य पूर्ण कराया गया है एवं दायें तटबंध में 1.51 कि.मी. एवं बायें तटबंध में 0.90 कि.मी. में कार्य प्रगति पर है। कार्य की भौतिक प्रगति 05 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 11.95% (मोबीलाईजेशन एडवांस सहित) बतायी गयी।
- कार्य की धीमी प्रगति का मुख्य कारण भू–अर्जन में अपेक्षित प्रगति नहीं होने बताया गया।
- इस योजना अन्तर्गत तटबंध रेखांकण में 22 अदद् मौजों में 290.632 एकड़ एवं मकानमयसहन में 100.909 एकड़ में भूमि का अर्जन किया जाना है।
- समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित दायें तटबंध के रेखांकण में कुल 937 पंचाटियों (189.312 एकड़) में से 739 पंचाटियों (148.89 एकड़) को मुआवजा राशि दिया जाना शेष है। बायें तटबंध के रेखांकण में कुल 531 पंचाटियों (101.32 एकड़) में से 211 पंचाटियों (25.97 एकड़) को मुआवजा राशि दिया जाना शेष है एवं योजनान्तर्गत 22 अदद् मौजों में मकानमयसहन में 100.909 एकड़ के विरूद्ध 10.38 एकड़ भूमि का भुगतान किया गया है, शेष मुआवजा भुगतान प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार संवेदक को कार्य हेतु कार्यकारी रीच दिया जाना परिलक्षित नहीं हो पा रहा था, जिससे कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई।
- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, रून्नीसैदपुर द्वारा बताया गया कि बागमती दायें तटबंध के कि०मी० 79.00 से कि०मी० 83.50 के बीच कोपी नरकोपी मौजा अन्तर्गत भूमि के किस्म को लेकर विवाद है, जिसके कारण ग्रामीणो द्वारा मुआवजा प्राप्त किये जाने से मना किया जा रहा है एवं कार्य में सहयोग नहीं किया जा रहा एवं कॉंटा पिरौछा रिंग बांध के निर्माण के संबंध में स्थानीय ग्रमीणों द्वारा कोई बांध की आवश्यकता नहीं बताते हुए कार्य में सहयोग नहीं किया जा रहा है।

- समीक्षा के क्रम में योजनान्तर्गत पुनर्वास "किया जाना है अथवा नही". इससे संबंधित स्पष्ट अभिलेख संज्ञान में नहीं लाया गया है। इस संबंध में निदेश दिया है कि इस योजना अन्तर्गत RFCTLARR Act 2013 के अधीन किये गये भू-अर्जन के समाजिक प्रभाव आकलन (SIA) प्रतिवेदन का अध्ययन कर इस योजना अन्तर्गत पुनर्वास किया जाना है अथवा नही यह स्पष्ट करते हुए कुल संभावित लागत राशि से संबंधित प्रतिवेदन मुख्यालय को एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

  (अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

- साथ ही मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि बागमती योजना से संबंधित वर्ष 2008 में विभाग द्वारा निर्गत संकल्प एवं भू-राजस्व विभाग के वर्ष 2007 में निर्गत (राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय पत्रांक-15 डी०एल०ए० नीति (पुनर्वास) 07/06-395 रा० दिनांक-19.02.2007 द्वारा निर्गत) परिपत्र का अध्ययन कर योजना अन्तर्गत पुनर्वास से संबंधित दिशा निर्देश से मुख्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

  (अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना)

- योजना के समीक्षा के क्रम में कार्य के संवेदक प्रतिनिधि श्री डी० एस० सैनी द्वारा बताया गया कि असमाजिक तत्वों द्वारा कार्य में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है एवं कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर द्वारा उनको एफ०आई०आर० करने हेतु निदेशित किया गया है। इस क्रम में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर से यह कारण पृच्छा किये जाने का निदेश दिया गया कि क्यों वर्णित मामले में उनके द्वारा संवेदक को एफ०आई०आर० करने हेतु पत्राचार किया गया।

  इस संबंध में निदेश दिया गया कि मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर वर्णित मामले में कार्यपालक अभिंयता, रून्नीसैदपुर से कारण पृच्छा कर समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि भविष्य में कार्य में बाधा पहुचाने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों पर नामजद एफ०आई०आर० अवश्य दर्ज की जाय। साथ हीं वर्णित मामले में अविलम्ब एफ०आई०आर० करने हेतु बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर को निदेशित किया गया।

  (अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

- योजना की समीक्षा के क्रम में संवेदक द्वारा मोबीलाईजेशन एडवांस पर ब्याज की राशि को Waive-off करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसपर संवेदक से आवेदन प्राप्त करते हुए नियमसंगत कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया।

  (अनुपालनः-मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर)

ह०/-
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०-10/2005 (अंश-XXIV) 719 /पटना, दिनांक- 26/02/2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

26/02/2026
(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०-10/2005 (अंश-XXIV) 719 /पटना, दिनांक- 26/02/26

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2026
(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०-10/2005 (अंश-XXIV) 719 /पटना, दिनांक- 26/02/2026

प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/ मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, मुजफ्फरपुर/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी/ कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रुन्नीसैदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर अपने स्तर से संबंधित संवेदकों को बैठक की कार्यवाही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

26/02/2026
(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)

ज्ञापांक-बाढ़(मो०)सिं०-10/2005 (अंश-XXIV) 719 /पटना, दिनांक- 26/02/2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई तथा विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

26/02/2026
(वरूण कुमार)
अभियंता प्रमुख (बाढ़)